हरियाणा सरकार

पशुपालन तथा डेयरिंग विभाग

अधिसूचना

दिनांक 4 जुलाई, 2011

संख्या का०आ० 58/के०अ० 52/1984/धा० 30/2011.—भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का 52), की धारा 30 के खण्ड (ख) के परन्तुक की व्याख्या द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, पशुपालन विभाग, अधिसूचना संख्या का०आ० 105/के०अ० 52/1984/धा० 30/94, दिनांक 25 नवम्बर, 1994 का अधिक्रमण करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निम्नलिखित पशु-चिकित्सा सेवाओं को उक्त व्याख्या के प्रयोजन के लिए "लघु पशु-चिकित्सा सेवाओं" के रूप में विनिर्दिष्ट करते हैं, अर्थात् :—

1. औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) के अधीन पंजीकृत पशु-चिकित्सा व्यवसायी द्वारा पूर्णत: यथा विहित औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 की अनुसूची एच० में यथा विनिर्दिष्ट औषधियों का प्रयोग या अवधारण।
2. औषधियों/रोगहर सामग्रियों का मिश्रण तथा वितरण करना।
3. दर्द एवं ज्वर के मामलों में दर्द निरोधक एवं ज्वर रोधी दवाईयों को प्रारम्भिक चिकित्सा के रूप में मुख द्वारा दिलाना।
4. बंद विधि द्वारा सांडों का बधियाकरण, बछड़ों को सींग रहित करना तथा पक्षियों की चोंच को हटाना।
5. पंजीकृत पशु चिकित्सा व्यवसायी को शल्य/मादा प्रसव पीड़ा सम्बन्धी कार्य में मदद करना।
6. पशुओं में रोग निरोधक टीकाकरण।
7. सामान्य जख्म वाली बीमारियों जैसे घाव, मवाद भरा फोड़ा, बाह्य/ऊपरी रक्त स्त्राव, जलने से हुए जख्म आदि को सम्भालना।
8. मुँह-खुर, थनैला, स्टोमयेड्टिस इत्यादि रोगों में मुँह, खुर, पैर, थन इत्यादि को कीटाणुनाशक/औषधीय सामग्री से धोना।
9. रक्त, सीरम, मूत्र, मल, सीमन, दूध और अन्य नमूने प्रयोगशाला परीक्षण के लिये एकत्र करना तथा भेजना।
10. संक्रामक रोगों की निगरानी, प्रयोगशाला जांच और रोग प्रकोप नियंत्रण उपायों सहित अन्य सम्बन्धित तकनीकी कार्यों में मदद करना।

11. रोग सम्बन्धित आंकड़ों का एकत्रीकरण, संग्रहण, रख-रखाव तथा रिपोर्ट करना।

12. आपात मामलों में प्रारम्भिक चिकित्सा प्रदान करना; अर्थात् :—

(i) आकाशीय बिजली गिरना।

(ii) धूप-आघात/शीत क्षत।

(iii) विद्युत आघात।

(iv) विषकरण।

(v) साँप काटना।

(vi) डूबना।

(vii) योनि/बच्चादानी का बाहर निकलना।

(viii) जेर न गिरना।

(ix) ब्याने में तकलीफ।

(x) नवजात की नाभि नलिका पर दवाई लगाना।

(xi) साधारण प्रकार की हड्डी का टूटना।

(xii) चोट/संक्रमण की दशा में पूंछ काटना।

(xiii) बदहजमी।

(xiv) भूख न लगना।

(xv) अफारा/धुआँना।

(xvi) सींग की चोट।

(xvii) वन्य जीव से हमला।

(xviii) प्राकृतिक आपदा।

(xix) दुर्घटना इत्यादि।

हरदीप कुमार,
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
पशुपालन तथा डेयरिंग विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING DEPARTMENT

Notification

The 4th July, 2011

No. S.O. 58/C.A. 52/1984/S. 30/2011.—In exercise of the powers conferred by the explanation to the proviso to clause (b) of section 30 of the Indian Veterinary Council, Act, 1984 (52 of 1984) and in supersession of Haryana Government, Animal Husbandry Department, Notification No. S.O. 105/C.A. 52/1984/S. 30/94, dated the 25th November, 1994, the Governor of Haryana hereby specifies the following veterinary services to be "minor veterinary services" for the purpose of said explanation, namely :—

1. Application or administration of the drugs as specified in the "Schedule H" of the Drugs and Consmetics Rules, 1945 under the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940) strictly as prescribed by a registered veterinary practitioner.
2. Compounding and dispensing of drugs/therapeutic preparations.
3. Rendering preliminary aid through oral administration of analgesics and antipyretics in cases of pain and fever.
4. Performing castration by closed method, de-horning, dis-budding and de-beaking.
5. Assisting registered veterinary practitioner in surgical/gynecological inverventions.
6. Prophylactic vaccinations of animals.
7. Handling of superficial ailments like wounds, abscesses, external/ superficial hemorrhages, burn etc.
8. Washing of mouth, hooves, feet, udder etc. with antiseptic/medicated preparations in conditions like foot and mouth disease, mastitis, stomatitis etc.
9. Collection and dispatch of samples of blood, serum, urine, faeces, semen, milk and other specimens for laboratory examination.
10. Assisting in the survelliance of infectious diseases, laboratory investigations and other related technical works including outbreak control measures.
11. Collect, compile, maintain and report disease related data.

12. Provide first-aid in cases of emergencies; namely :—

(i) Lightning Stroke

(ii) Sunstroke/frosbite

(iii) Electric Shock

(iv) Poisoning

(v) Snake Bite

(vi) Drowning

(vii) Prolapse of vagina uterus

(viii) Retention of placenta

(ix) Dystokia

(x) Dressing of naval cord in new born

(xi) Simple fracture

(xii) Docking in case of injury/infection

(xiii) Indigestion

(xiv) Anorexia

(xv) Tympany/bloat

(xvi) Horn injuries

(xvii) Wild animal attack

(xviii) Natural Calamities

(xix) Accidents etc.

HARDEEP KUMAR,
Financial Commissioner and Principal Secretary to
Government Haryana,
Animal Husbandry and Dairying Department.

48825—L.R.—H.G.P., Chd.